

पंजी संख्या :- 01



सुशील कुमार

# बिहार विधान सभा आग निर्वचन, 2020

## जिला - औरंगाबाद

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के दिन-प्रतिदिन के लेखे अनुरक्षित करने के लिए

# अभ्यर्थी लेखा पंजी

पंजी संख्या :- 01

# बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020

जिला - औरंगाबाद

प्रमाणित किया जाता है कि इस पंजी में कुल...184.....पृष्ठ है।



  
निर्वाची पदाधिकारी

.....220.01.....विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

# बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020

जिला - औरंगाबाद

अनुलग्नक - डू 1

Annexure - E 1

निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के दिन-प्रति-दिन लेखा संधारण हेतु पंजी

Register for Maintenance of Day to Day Accounts of Election

Expenditure by Contesting Candidates

## टिप्पणी :-

### Note :-

1. इस रजिस्टर का रख-रखाव दैनिक आधार पर किया जाना चाहिए एवं यह निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेषकों, जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्देशीय अधिकारी अथवा उनको ओर में रखना कोई अन्य अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के अधीन रहेगा।
2. This register must be maintained on a daily basis and shall be subject to inspection at any time by the Observer appointed by the Election Commission, District Election Officer/Returning Officer by any other officer authorized in this behalf.
3. यह रजिस्टर, लोक प्रतिनिधियुक्त अधिनियम 1951 की धारा 78 के अधीन निर्वाचन व्यय की विवरणों के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। इसके साथ ही 1 से 9 तक) एवं शायद पर के बिना पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं की जाएगी।
4. The register must be lodged in original with the District Election Officer as the return of Election Expenditure under Section 78 of the Representation of the People Act, 1951. It must be accompanied by an abstract statement (Part I to IV and subrule 1 to 9) of election expenses and supporting affidavit in the prescribed form. No return of expenditure will be accepted as complete without the abstract statement of election expenses and the affidavit.
5. केवल उन मसुदों के वाउचर संलग्न नहीं किए जा सकते हैं जो निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 86 (2) में सूचीबद्ध हैं, जैसे डाक व्यय, हवाई यात्रा। यदि इन विवरणों द्वारा कोई वाउचर संलग्न नहीं किया जाता है तो वह निरिक्त रजिस्टर में इस प्रकार से यह स्पष्टीकरण अवश्य दिया जाना चाहिए कि अयोग्य वाउचर प्रस्तुत करना आवश्यक क्यों नहीं था।
6. Vouchers may not be attached only in respect of those items which are listed in Rule 86 (2) of the Conduct of Election Rules, 1961, like postage, travel by air. For any voucher not attached vide this rule, an explanation to the effect why it was not practicable to obtain the required vouchers must be given in the prescribed register.
7. रखे गए लेखा की सही प्रति है। अभ्यर्थी को स्वयं शायद-पार पर शायद होने चाहिए।
8. The account and abstract statement shall be countersigned by the candidate if it is lodged by his election agent and should be certified by the candidate himself to be the correct copy of the account kept. The affidavit should be sworn by the candidate himself.
9. अभ्यर्थी/निर्वाचन अधिकारी द्वारा सोधे उपरान्त शायद प्राधिकृत व्यक्तों को अस्ताव, अभ्यर्थी के निर्वाचन से संबंधित राजनीतिक दल, अन्य संगठन, व्यक्तियों के निकारण, व्यक्तियों द्वारा शायद प्राधिकृत सभी व्यय को लेखा में शामिल किया जाना आवश्यक है। इसका एकमात्र आधार पार्टी के कार्यक्रमों के प्रकार-प्रकार के लिए राजनीतिक दल के नेताओं की यात्रा के संबंध में किया गया व्यय है। (लोक प्रतिनिधियुक्त अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) का स्पष्टीकरण 1 एवं 2 देखें)
5. Apart from the expenses incurred or authorized by the candidate/election agent directly, all expenditure incurred or authorized by the political party, other associations, bodies of persons, individuals in connection with the election of the candidate are also required to be included in the account. The only exception is the express incurred on travel of specified leaders of the political party on account of their travel for propagating the programme of the party. (See Explanation 1 and 2 of Section 77 (1) of the Representation of the People Act 1951).
6. यदि उपर्युक्त स्तम्भ 2 और 3 में प्रदर्शित किसी भी प्रकार व्यय को किसी राजनीतिक दल/संगठन/व्यक्तियों के निकारण/कोई व्यक्ति (अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अधिकारी के अधिकार) द्वारा उपरान्त/प्राधिकृत है तो स्तम्भ 7 और 8 में उसका नाम एवं पूरा पता प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
6. If the expenditure on any item shown above in columns 2 and 3 above is incurred/authorized by any political party/association/body of persons/body of individual (other than the candidate or his election agents), its/diis name and complete address must be shown in columns 7 and 8.
7. उपर्युक्त स्तम्भों के स्तम्भ 2 और 3 में निर्दिष्ट कुल व्यय में, सभी प्रकार व्यय और अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी भी शीत से प्राप्त सभी वस्तुओं और अन्य प्रकार से प्राप्त सेवाओं की कीमत भी शामिल होने चाहिए।
7. The total expenditure referred in columns 2 and 3 of the above table should include all expenditure in cash and the value of all goods and services received in kind by the candidate or his election agent from any source.
8. इस रजिस्टर में निर्धारित प्रारंभ के अनुसार सफेद पृष्ठों के धना-क में दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर, गुलाबी पृष्ठों के धना-ख में यथा उचित/निर्दिष्ट प्रकार की रजिस्टर, तथा धीरे धीरे पृष्ठ के धना-ग में यथा उचित/निर्दिष्ट रजिस्टर शामिल होने चाहिए।
8. This register should include Day to Day Account Register as is Part A in White Pages, Cash Register as mentioned in Part-B in Pink pages and Bank Register as mentioned in Part-C in Yellow pages, as per the formats prescribed.

(भाग - क)

(Part - A)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए रजिस्टरRegister for Maintenance of Day to Day Accounts of Election Expenditure by Contesting Candidates

अभ्यर्थी का नाम :

सुजीत कुमार

राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो :

Name of the Candidate :

Sujeet Kumar

Name of Political Party, if any :

निर्वाचन क्षेत्र जहाँ निर्वाचन लड़ा गया : 220, ओबरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

Constituency from which contested : 220 ORA LEGISLATIVE ASSEMBLY

परिणाम की घोषणा की तिथि :

Date of Declaration of Result :

निर्वाचन एजेंट का नाम एवं पता :

Name and address of Election Agent :

उपरोक्त/प्राधिकृत कुल व्यय :

Total expenditure incurred/authorized :

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक, दोनों तारीखें सम्मिलित)

(From the date of nomination to the date of declaration of result of election, both dates inclusive)

1 व्यय/व्यय का तिथि Date of expenditure/event	2 व्यय का प्रकृति Nature of expenditure			3 कुल तिना रु० में (प्रतिगत फिवा प्रवा + बचतवा) Total Amount in Rupees (paid + outstanding)	4 अवता का ना और पता Name and address of payee
	विवरण Description	मात्रा Qty.	प्रति प्रकृति रु० Rate per Unit		
06-10-2020	(A) NOMINATION (N.R.)	01	10,000/-	10,000/-	Sujeet Kumar
—	(B) TRANSPORTIN	01	1200/-	1200/- Dues	Sujeet Kumar
—	SCORPIO	01	3000/-	3000/- Dues	Sujeet Kumar
—	DIESEL	08	500/-	4000/- Dues	Sujeet Kumar
—	NASTAR MEAL	40	100/-	4,000/- Dues	Sujeet Kumar
—	OTHERS	—	—	4720/- Dues	
—	व्यय का प्रकृति	70	500	35000/- Dues	
—	प्रतिप्रकृति	15	300	4500/- Dues	
07-10-2020	—	—	—	—	—
08-10-2020	—	—	—	—	—
09-10-2020	—	—	—	—	—
10-10-2020	— Loudspeaker	01	1200/-	1200/- Dues	—
11-10-2020	— SCORPIO	05	3000/-	15000/- Dues	—
—	— FUEL	05	500/-	2500/- Dues	—
—	— Loudspeaker	01	1200/-	1200/- Dues	—
Total -				86300/-	

C/P

Total -

86300/-



















(भाग- 1)

(Part - C)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-पति-दिन लेखा के रख-रखाव के लिए बैंक रजिस्ट्रारBank Register for Maintenance of Day to Day Accounts of Day Contesting Candidates

अभ्यर्थी का नाम :

Name of the Candidate :

निर्वाचन क्षेत्र जहाँ निर्वाचन लड़ा था :

Constituency from which contested :

परिणाम की घोषणा की तिथि :

Date of Declaration of Result :

निर्वाचन एजेंट का नाम एवं पता :

Name and address of Election Agent :

बैंक का नाम :

Name of the Bank :

शाखा का पता :

Branch Address :

खाता संख्या :

Account No. :

(नामंकन की तिथि से परिणाम घोषणा की तिथि तक, दोनों तिथियाँ सहित)

(From the date of nomination to the date of declaration of result of election, both dates inclusive)





